संख्या-40/2025/203/2025/27-2002-1-2025-2

प्रेषक,

आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य पोषित मदों के अन्तर्गत 34 अदद नई परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-142/काप्रअ/अनिबामं/यू-10/बी-1प्र0, दिनांक 07-02-2025 एवं अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ के पत्र संख्या-163/काप्रअ/अनिबामं/यू-10/बी-1प्र0, दिनांक 13-02-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित विवरण की 34 अदद् नई परियोजनाओं की कुल लागत रू0 64,55,46,000.00 (रू0 चौंसठ करोड़ पचपन लाख छियालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं के अन्तर्गत निम्न तालिका-अ में अंकित विभिन्न लेखाशीर्षको में उपलब्ध बजट व्यवस्था एकमुश्त (नई) कुल रू0 2200.00 लाख में से तालिका-ब के कालम संख्या- 8 में विभिन्न लेखाशीर्षको के अन्तर्गत 34 अदद नई परियोजनाओं के सम्मुख अंकित धनराशि प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 21,67,00,000.00 (रू0 इक्कीस करोड़ सड़सठ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-अ **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट प्राविधान एकमुश्त (नई)	व्यय/प्रस्तावित	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवशेष बजट प्राविधान (3-4)
1	2	3	4	5
1	94-4711-01-103-06-05-24 नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनाएं पुनरोद्धार की परियोजना (राज्य पोषित) (एकमुश्त नई)	100.00	0.00	100.00
2	94-4711-01-103-08-40-24 तटबंधों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/ उच्चीकरण की परियोजनायें (राज्य पोषित) (एकमुश्त नई)	1000.00	0.00	1000.00
3	94-4711-01-103-09-84-24 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यो की परियोजनाएँ (राज्य पोषित) (एकमुश्त नई)	1000.00	0.00	1000.00
4	जलनिकास योजनाएं (रा0से0) 94-4711-03-103-03-05-24 पुनरोद्धार की परियोजना	100.00	0.00	100.00
	योग-	**2200.00**	**0.00**	**2200.00**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तालिका-ब

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	मण्डल का नाम	संगठन का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	स्थाई संचालन समिति का संदर्भ	स्वीकृत धनराशि (एकमुश्त नई से)
1	2	3	4	5	6	7	8
नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनाएं 94-4711-01-103-06-05-24 पुनरोद्धार की परियोजना							
1	सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर	सिंचाई कार्य मण्डल सहारनपुर	यमुना	जनपद सहारनपुर के ब्लाक गंगोह के अन्तर्गत यमुना नदी के बांयें किनारे पर स्थित एप्रोच रोड बन्ध के कि0मी0 2.270 से कि0मी0 2.900 के मध्य क्षतिग्रस्त 06 नग स्टड की पुर्नस्थापना के कार्य की परियोजना।	256.45	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-25	85.00
				योग 06-05	**256.45**		**85.00**
94-4711-01-103-08-40-24 तटबंधों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण की परियोजनायें							
2	बाढ़ कार्य खण्ड-प्रथम, बस्ती	गण्डक बाढ़ मण्डल, बस्ती	गण्डक	जनपद बस्ती के हर्रैया तहसील में घाघरा नदी के बांये तट पर निर्मित गौरा-सैफाबाद तटबन्ध की सुरक्षा हेतु किमी0 3.780 से 3.900 के मध्य की सुरक्षा हेतु 120 मीटर में रिवेटमेंट/स्लोप पिचिंग के निमार्ण कार्य की परियोजना।	182.18	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-186	60.00
3	बाढ़ कार्य खण्ड-प्रथम, बस्ती	गण्डक बाढ़ मण्डल, बस्ती	गण्डक	जनपद बस्ती के अन्तर्गत हर्रैया तहसील में घाघरा नदी के बांये तट पर स्थित लोलपुर-विक्रमजोत तटबंध के ग्राम संदलपुर व तटबन्ध के सुरक्षार्थ किमी0 7.500 के निकट 05 अद्द डैम्पनर के निमार्ण कार्य की परियोजना।	320.88	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-183	106.0
4	बाढ़ कार्य खण्ड-प्रथम, बस्ती	गण्डक बाढ़ मण्डल, बस्ती	गण्डक	जनपद बस्ती के हर्रैया तहसील में मनवर नदी के दांये तट पर निर्मित पण्डुलघाट-नैकापार तटबन्ध के किमी0 0.000 से किमी0 2.550 तक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य एवं 11.000 पर रेगुलेटर के निर्माण कार्य की परियोजना।	234.73	59वीं बैठकदिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-188	77.00
5	बाढ़ कार्य खण्ड-प्रथम, बस्ती	गण्डक बाढ़ मण्डल, बस्ती	गण्डक	जनपद बस्ती के हर्रैया तहसील में घाघरा(सरयू) नदी के बांये तट पर निर्मित काशीपुर-दुबौलिया तटबन्ध की सुरक्षा हेतु किमी0 1.875, किमी0 1.950 एवं किमी0 2.025 पर डैम्पनर के निमार्ण कार्य की परियोजना।	176.03	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-190	58.00
6	बाढ़ कार्य खण्ड-प्रथम, बस्ती	गण्डक बाढ़ मण्डल, बस्ती	गण्डक	जनपद-बस्ती के सदर तहसील के अन्तर्गत घाघरा/सरयू नदी के बांये तट पर निर्मित कलवारी-रामपुर तटबन्ध के किमी0 10.800 एवं किमी0 11.200 पर 02 अद्द स्पर के निर्माण कार्य की परियोजना।	986.41	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-185	326.00
7	बाढ़ कार्य खण्ड-प्रथम, बस्ती	गण्डक बाढ़ मण्डल, बस्ती	गण्डक	जनपद बस्ती के हर्रैया तहसील में घाघरा(सरयू) नदी के बांये तट पर निर्मित विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध की सुरक्षा हेतु किमी0 13.220 पर स्पर एवं 02 अद्द डैम्पनर के निमार्ण कार्य की परियोजना।	628.88	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-187	208.00
8	ड्रेनेज खण्ड-2, संतकबीरनगर	गण्डक बाढ़ मण्डल, गोरखपुर	गण्डक	जनपद संतकबीरनगर के मेंहदावल तहसील में राप्ती नदी के दायें तट पर निर्मित करमैनी-बेलौली तटबन्ध के किमी0 16.620 से किमी0 16.670 एवं किमी0 16.740 से किमी0 16.760 के मध्य क्षतिग्रस्त लांचिंग एप्रन/पिचिंग के पुर्नस्थापना के कार्य की परियोजना।	94.78	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-125	28.00
9	ड्रेनेज खण्ड-2, संतकबीरनगर	गण्डक बाढ़ मण्डल, गोरखपुर	गण्डक	जनपद संतकबीरनगर के मेंहदावल तहसील में राप्ती नदी के दायें तट पर निर्मित करमैनी-बेलौली तटबन्ध के किमी0 7.770 से किमी0 8.050 के मध्य स्टोन बोल्डर से टो-वाल के साथ स्लोप पिचिंग के कार्य की परियोजना।	92.98	59वीं बैठकदिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-126	28.00
10	सिंचाई खण्ड बडौत, बागपत	ड्रेनेज मण्डल गाजियाबाद, मेरठ	यमुना	जनपद बागपत में यमुना नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम-शाबगा एवं जागौस के सामने कटाव निरोधक कार्यों की परियोजना।	38.73	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-36	22.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11	बाढ़ कार्य खण्ड-प्रथम, बस्ती	गण्डक बाढ़ मण्डल, बस्ती	गण्डक	जनपद बस्ती के अन्तर्गत हर्रैया तहसील में घाघरा नदी के बांये तट पर स्थित विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी0 3.500 पर ग्राम कन्हईपुर के सुरक्षार्थ 05 अद्द डैम्पनर के निमार्ण कार्य की परियोजना।	209.29	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-189	69.00
				योग 08-40	**2964.89**		**982.00**
94-4711-01-103-09-84-24 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यो की परियोजनाएँ (राज्य पोषित)							
12	ड्रेनेज खण्ड-2, संतकबीरनगर	गण्डक बाढ़ मण्डल, गोरखपुर	गण्डक	जनपद संतकबीरनगर में धनघटा तहसील के अन्तर्गत कुआनो नदी के दाँये तट पर स्थित ज्ञानपुर बसंतपुर तटबंध के किमी॰ 0.500 से किमी॰ 0.810 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	77.04	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-127	23.00
13	सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज	गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल-2, गोरखपुर	गण्डक	जनपद महराजगंज में रोहिन नदी के बायें तट पर निर्मित अमहवा रिंग तटबन्ध के किमी0 1.175 से किमी0 1.455 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	116.57	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-154	38.00
14	सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज	गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल-2, गोरखपुर	गण्डक	जनपद महराजगंज में रोहिन नदी के बायें तट पर निर्मित डोमरा रिंग तटबन्ध के किमी0 0.500 से किमी0 0.600, किमी0 0.760 से किमी0 0.860 एवं किमी0 1.950 से 2.050 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	115.83	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-155	38.00
15	सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज	गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल-2, गोरखपुर	गण्डक	जनपद महराजगंज में रोहिन नदी के बायें तट पर निर्मित अनन्तपुर बड़हरा तटबन्ध के किमी0 0.700 से किमी0 0.960 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	124.91	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-157	41.00
16	सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज	गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल-2, गोरखपुर	गण्डक	जनपद महराजगंज में रोहिन नदी के बायें तट पर निर्मित जर्दी डोमरा तटबन्ध पर 1000 मी0 की लम्बाई में कन्ट्री साइड स्लोप के स्थायित्व एवं भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु टो वाल बनाने के कार्य की परियोजना।	123.92	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-159	41.00
17	सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज	गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल-2, गोरखपुर	गण्डक	जनपद महराजगंज में रोहिन नदी के बायें तट पर स्थित चेहरी तटबन्ध पर 1.000 किमी0, की लम्बाई में कंट्री साइड स्लोप के स्थायित्व एवं भूमि अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु टो वाल निर्माण कार्य की परियोजना।	126.69	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-166	42.00
18	सिंचाई निर्माण खण्ड, सिद्धार्थनगर	गण्डक बाढ़ मण्डल, बस्ती	गण्डक	जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित बैदौला-भड़रिया तटबन्ध के किमी0 6.050 से 6.300 के मध्य मालीमैनहा कटान स्थल की कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	92.68	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-194	30.00
19	सिंचाई निर्माण खण्ड, सिद्धार्थनगर	गण्डक बाढ़ मण्डल, बस्ती	गण्डक	जनपद-सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित भोजपुर-शाहपुर तटबन्ध के किमी0 14.200 से 14.900 के मध्य बिजौरा कटान स्थल की कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	193.69	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-195	64.00
20	बाढ़ खण्ड पूरनपुर-पीलीभीत	बाढ़ मण्डल, लखीमपुर-खीरी	शारदा	जनपद पीलीभीत में देवहा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम भैंसहा में पूर्व निर्मित परियोजना के अपस्ट्रीम में हो रहे कटान को रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	95.65	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-273	31.88
21	बाढ़ खण्ड, बरेली	बाढ़ कार्य मण्डल, बरेली	पूर्वीगंगा	जनपद बरेली में वैस्ट बहगुल नदी के बायें किनारे पर स्थित कस्बा शाही, रम्पुरा एवं नारा फरीदपुर आदि ग्राम समूह की सुरक्षा हेतु कटान निरोधक कार्य की परियोजना।	156.39	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-287	52.12
22	बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद	सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद	पूर्वीगंगा	जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत कोसी नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम जैतपुर-बिसाहट की कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	182.86	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-302	60.95

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23	उत्तरी खण्ड, गंगा नहर, रूड़की	गंगा नहर संचालन मण्डल, मेरठ	गंगा	जनपद हरिद्वार में रतमऊ नदी के दायें किनारे पर ऊपरी गंगा नहर के सुरक्षार्थ निर्मित रतमऊ मार्जिनल तटबंध एवं पूर्व निर्मित 04 नग स्पर/कटाव निरोधक कार्यो की पुर्नस्थापना/सुदृढ़ीकरण के कार्यो की परियोजना।	213.56	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-223	78.84
24	बाढ़ खण्ड, गोरखपुर	गण्डक बाढ़ मण्डल, गोरखपुर	गण्डक	जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित कनईल मझगांवा तटबंध के किमी0 5.386 से किमी0 6.850 तक खड़न्जा लगाने का कार्य व किमी0 6.200 से किमी0 6.450 के मध्य नदी साइड में टो-वाल बनाकर स्लोप पिचिंग के कार्य की परियोजना।	94.75	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-94	31.00
25	शारदा सागर खण्ड, पीलीभीत	पंचम मण्डल सिंचाई कार्य, बरेली	शारदा	जनपद पीलीभीत में कटना नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम खनंका की कटान से सुरक्षा हेतु डैम्पनर के निर्माण की परियोजना।	123.65	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-243	41.22
26	सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद	सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद	पूर्वीगंगा	जनपद मुरादाबाद में कोसी नदी के बांये किनारे पर स्थित आगापुर-मढौली तटबंध के किमी0 3.050 पर तटबंध की बाढ़ से सुरक्षा हेतु टी-स्पर के निर्माण कार्य की परियोजना।	147.13	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-317	45.00
27	बाढ़ खण्ड-2, गोरखपुर	गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल-2, गोरखपुर	गण्डक	जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित ग्रामसमूह पौहरिया, तुर्कवलियां एवं बगहा के सुरक्षार्थ कटाव निरोधक कार्य की परियोजना	162.99	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-177	54.00
28	शारदा नहर खण्ड शाहजहाँपुर	सिंचाई कार्य मण्डल, सीतापुर	शारदा बरेली	जनपद शाहजहाँपुर के अंतर्गत गर्रा नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम धन्यौरा की बाढ़ सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्यो की परियोजना।	157.46	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-232	51.96
29	बाढ़ खण्ड, पूरनपुर-पीलीभीत	बाढ़ मण्डल लखीमपुर-खीरी	शारदा बरेली	जनपद पीलीभीत में शारदा नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम मार्जिनल बन्ध के स्पर संख्या-18, 19, 20 एवं 21 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	93.09	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-272	31.03
30	बाढ़ खण्ड, बदायूं	बाढ़ कार्य मण्डल, बरेली	पूर्वीगंगा	जनपद बदायूँ में गंगा नदी के बांये किनारे पर स्थित गंगा महावा जंक्शन के नजदीक ग्राम समूहः नगला कोतल, पालपुर, बक्सर खालसा एवं बटरूइया की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	168.00	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-294	56.00
31	अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, धामपुर	सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद	पूर्वीगंगा	जनपद मुरादाबाद में ढेला नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम ईलर की बाढ़ से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्यों की परियोजना।	140.23	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-305	46.28
32	अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, धामपुर	सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद	पूर्वीगंगा	जनपद बिजनौर में खो नदी के दायें किनारे पर स्थित मुकरपुरी-सिपाहिवाला तटबंध, ग्राम ज्योतिहिमा एवं ग्राम इब्राहिमपुर की बाढ़ से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्यों की परियोजना।	137.54	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-309	45.39
33	सिंचाई निर्माण खण्ड वाराणसी	सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी	सोन	जनपद गाजीपुर की तहसील जमानियां में गंगा नदी के दायें तट पर कस्बे में कपूरा घाट से सतवानी घाट के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	150.79	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-320	57.33
				योग 09-84	**2995.42**		**1000.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जलनिकास योजनाएं (रा0से0) 94-4711-03-103-03-05-24 पुनरोद्धार की परियोजना (राज्य पोषित)							
34	ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर)	ड्रेनेज मंडल गाजियाबाद	यमुना	जनपद शामली में यमुना नदी के बांये किनारे पर स्थित यमुना मार्जिनल बन्ध के कि0मी0 13.000 पर स्थित ग्राम शीतलगढी, सादान बिडौली व झिंवरान-बिडौली के सुरक्षार्थ बाढ निरोधक कार्यो की परियोजना।	238.70	59वीं बैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-32	100.00
				योग 03-05	**238.70**		**100.00**
				महायोग	**6455.46**		**2167.00**

(इक्कीस करोड़ सड़सठ लाख मात्र)

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

3- उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

(1) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जाएगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाए।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्य पर ही किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

(4) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। व्यय करने से पूर्व कार्य के विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिन परियोजनाओं की स्वीकृति शासन स्तर से अपेक्षित है उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन के सम्बन्धित अनुभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराए। इन परियोजनाओं पर किसी अन्य मद से यदि धनराशि प्राप्त हुई हो तो उसका समायोजन कर लिया जाएगा तथा स्वीकृत की गई धनराशि का व्यय अनुमोदित मदों पर ही किया जाएगा।

(6) निर्माण कार्यो पर व्यय करने के पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का व्यय सम्बन्धित परियोजना की अनुमोदित लागत तक ही सीमित रखा जायेगा, अनुमोदित लागत के ऊपर धनराशि का व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जाएगी।

(7) अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समकक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(8) वित्त विभाग के सी0सी0एल0 संबंधी आदेशों को संज्ञान में लेते हुए अवमुक्त धनराशि के व्यय का माहवार कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाए, जिसमें यथा सम्भव समानुपातिक आधार पर व्यय की व्यवस्था हो। तद्नुसार व्यय सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण किया जाए। परियोजनाओं की लागत में टाईम ओवर रन/कास्टओवर रन विषयक समयय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(9) बी0एम0 प्रपत्र-8 पर नियमित रूप से व्यय विवरण की सूचना शासन में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 व सिंचाई अनुभाग-2 को प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाए।

(10) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाए। इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(12) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर फेजिंग के अनुसार समानुपातिक किश्तों में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जाएगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाए।

(13) उक्त धनराशि का व्यय, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 25.01.2011 तथा श्रम अनु0-2 के शासनादेश सं0-1666/36-2-2010, दि0 05.12.2010 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तो के अन्तर्गत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय को आगणन में सम्मिलित करते हुए इस धनराशि को जोड़कर संबंधित लेखाशीर्षकों में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(14) कार्य की विशिष्टियॉ मानक/गुणवत्ता तथा मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व/ जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई तथा सम्बन्धित अधिकारियों की होगी। प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रमुख अभियन्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा हो।

(15) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(17) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा।

(18) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(19) प्रमुख अभियन्ता सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को धनराशि आवंटित करेंगे। किसी भी दशा में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता द्वारा धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी।

(20) प्रमुख अभियन्ता आवंटित धनराशि की सूचना 10 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराएंगे।

(21) प्रमुख अभियन्ता द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(22) प्रमुख अभियन्ता द्वारा भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि अध्याप्ति हेतु अनुमोदित लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।

(23) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(24) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(25) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह परियोजना का बार चार्ट तथा पाई चार्ट तैयार कराएंगे तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का माहवार चार्ट बनाकर विवरण सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(26) परियोजनाओं के संबंध में 59वीं स्थाई संचालन समिति की बैठक दिनांक 07-01-2025 के कार्यवृत्त में दिये गये समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख अभियन्ता (परि0एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-06-नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनाएं- 0605-पुनरोद्वार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर)-24-वृहत निर्माण कार्य (तालिका के क्रमांक-1 की परियोजना पर रू0 85,00,000.00), लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निर्माण कार्य-08-तटबन्धों का निर्माण-0840-तटबन्धों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण की परियोजनायें (राज्य सेक्टर)-24-वृहत निर्माण कार्य (तालिका के क्रमांक-2 से 11 तक की परियोजनाओं पर रू0 9,82,00,000.00), लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-09-कटाव निरोधक योजनाएँ-0984-नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यो की परियोजनाएँ (रा0से0)-24- वृहत निर्माण कार्य (तालिका के क्रमांक-12 से 33 तक की परियोजनाओं पर रू0 10,00,00,000.00), लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-जल निकास (रा0से0)-103-सिविल निर्माण कार्य-03-जल निकास योजनाएं(रा0से0)-0305-पुनरोद्धार की परियोजनाएं (रा0से0)-24-वृहत निर्माण कार्य (तालिका के क्रमांक-34 की परियोजना पर रू0 1,00,00,000.00) के नामे डाला जाएगा (उक्त चार मदों का कुल योग रू0 21,67,00,000.00) ।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 21,67,00,000.00 (रुपये इक्कीस करोड़ सड़सठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 के अन्तर्गत उक्त तालिका में अंकित पांच लेखा शीर्षकों के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-8-840-X-2024-25- दिनांक: 07-03-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त् ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) मुख्य अभियंता, अनु0 एवं नियो0(बाढ़), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(8) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(9) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
(10) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(11) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(12) वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-8
(13) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।